भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2927
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

मतदाता सूची

+2927. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को किसी भी कीमत पर विदेशी लोगों के नाम को रजिस्टर में दर्ज नहीं करने का निदेश दिया है तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदान सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम को सम्मिलित करने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चुनाव आयोग ने राज्यों को उच्च न्यायालय के आदेश को सख्ती से पालन करने का निदेश दिया है ;

(घ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेश राष्ट्रिकों के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के मामले सरकार के संज्ञान में आए है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश जिसमें आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदान सूची में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम रजिस्टर नहीं करने को कहा गया है, आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) : आयोग ने सूचित किया है कि, वर्ष 2016,2017 और 2019 के दौरान ऐसा कोई भी मामला इसके नोटिस में नहीं आया है। तथापि, वर्ष 2018 के दौरान, तेलंगाना,पश्चिमी बंगाल और गुजरात राज्यों में प्रत्येक से एक शिकायत रिपोर्ट की गई थी। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, संबन्धित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, मामले का अन्वेषण करने और निर्वाचक नामावली से ऐसे व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। उनको जारी हुआ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी जब्त कर लिया जाता है।

****